फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

किशोरया बनाम धनराज वगै0

किरम मुकदमा–दावा मु0नं0– 31/2024

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.03.2026	पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि खसरा नंबर 446/252 है0 चाही 1 वाके ग्राम जोध्या में स्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/10, 1/10 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। खसरा संख्या 242 रकबा 0.4500 है0, आराजी खसरा नंबर 244 रकबा 0.2500 है0, खसरा नंबर 245 रकबा 0. 2000 है0 भूमि ग्राम जोध्या में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। सैटलमेण्ट के पूर्व के समय आराजी खसरा नंबर 242 के साबिक खसरा संख्या 161 मी खसरा नंबर 244 के साबिक खसरा नंबर 161 मी0 खसरा नंबर 245 खसरा नंबर 161 मी0, खसरा नंबर 161 मी खसरा संख्या 253 रकबा 0.5600 है0 के साबिक खसरा नंबर 171 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा व आराजी खसरा नंबर 13 रकबा 0. 7300 है0 के साबिक खसरा नंबर 12 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि रहे है। यह कि वाद वर्णित भूमि खाता संख्या 64 एवं 65 में वाके ग्राम जोध्या में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 का नाम व दर्ज हिस्सा गलत है। वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि जमाबंदी संवत 2066–69 में खसरा नंबर साबिक 161 व खसरा नंबर 171 में वादी किशोरया पुत्र मेवा हिस्सा 1/2 कौम बैरवा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। तथा प्रतिवादीगण मोहनलाल, सोहनलाल, रघुवीर, धनराज पि0 प्रभात्या भूरी देवी पत्नी स्व0 प्रभात्या व हिस्सा बराबर 1/2 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में खसरा संख्या 171 मे अपना हिस्सा 1/2 प्रतिवादीगण की स्व0 माताजी भूरी पत्नी प्रभात्या को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 321 राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हुआ। साबिक खसरा नंबर 171 में अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 का बेचान कर दिए जाने से साबिक खसरा नंबर 171 के नवीन खसरा नंबर 252 में वादी का कोई हक हिस्सा बाकी नहीं रहा जाता है मगर दौराने सैटलमेण्ट राजस्व कर्मचारियों की गलती से खसरा नंबर 161, 171 के नवीन खसरा नंबर 242, 244, 245 व 252 में वादी किशोरया पुत्र मेवा का नाम सम्पूर्ण भूमि से छूट गया। जबकि किशोरया द्वारा खसरास नंबर 171 हाल खसरा नंबर 252 से ही अपना हिस्सा 1/2 विक्रय किया था। इसलिए उक्त भूमि में वादी का हिस्सा 1/2 दर्ज होना चाहिए। खसरा संख्या 446/252 में वादी किशोरया पुत्र मेवा बैरवा हिस्सा 1/2 दर्ज है। जबकि उक्त खसरे से वादी द्वारा अपना संपूर्ण हिस्सा 1/2 का बेचान	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

किशोरया / धनराज कोर   मु० नं० - 31/2024

प्रतिवादीगण की माताजी भूरी देवी पत्नी प्रभात्या को किया जा चुका है जिसका नामान्तकरण संख्या 321 भी अमल दरामद हो चुका है। इसलिए खसरा नंबर 446/252 में जो वादी का नाम है, हजफ फरमाया जाकर उक्त खाते में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को संपूर्ण भूमि में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश कर वादी के वादपत्र को स्वीकार किया गया है। तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा जवाब पेश किया गया। तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट अनुसार वादी किशोरया पुत्र मेवा जाति बैरवा का नाम खसरा संख्या 242, 244, 245 में हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 का हिस्सा 1/10–1/10 दर्ज किया जाना उचित है। जोध्या के खसरा नंबर 446/252 में वादी किशोरया ने अपने हिस्से 1/2 का सम्पूर्ण बेचान प्रतिवादी भूरीदेवी को किया गया था जिसका नामांतकरण संख्या 321 दर्ज किया गया था जिसका अमल दरामद हो चुका था। अतः खसरा नंबर 446/252 में प्रतिवादीगण संख्या 5 भूरी देवी का हिस्सा 3/5 व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/10–1/10 दर्ज किया जाना उचित है।

बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण का ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र को स्वीकार किया गया है। तहसीलदार बहरावण्डा की रिपोर्ट से भी वादपत्र साबित है। इसलिए दावा वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः दावा वादीगण स्वीकार कर ग्राम जोध्या की भूमि खसरा संख्या 242, 244, 245 में वादी का हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 का हिस्सा 1/10–1/10 तथा खसरा नंबर 446/252 में प्रतिवादीगण संख्या 5 भूरी देवी का हिस्सा 3/5 व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/10–1/10 दर्ज किया जाने के आदेश तहसीलदार बहरावण्डा को दिए जाते है। तहसीलदार बहरावण्डा उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा